न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारीः राजकुमार कस्वा, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 07/2023, गुण्डा एक्ट

1. सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, दौसा जिला दौसा ।

बनाम

1. गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा।

(कार्यवाही अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975)

उपस्थिति : लोक अभियोजक – राजकीय अधिवक्ता उपस्थित ।

: गैर सायल बहस के दौरान उपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 17.10.2023

प्रस्तुत इस्तगासा थानाधिकारी पुलिस थाना महवा जिला दौसा की ओर से पुलिस अधीक्षक दौसा के जरिये प्राप्त होकर सुनवाई के लिए इस न्यायालय में दर्ज किया गया। मुताबिक इस्तगासा संक्षिप्त वाक्यात इस प्रकार से है कि गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा के विरूद्ध थाना महवा में निम्नानुसार मुकदमे दर्ज होकर चालान अदालत में पेश हुआ है तथा अदालत से सजा एवं जुर्माना हुआ है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों का विवरण निम्ननानुसार हैः–

क्र. स.	मुकदमा संख्या	तारीख रजू	धारा	चार्जशीट सं.	दिनांक	निर्णय अदालत
1.	175/23	12.03.2023	13 RPGO	63/2023	22.03.2023	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 06.04.2023
2.	326/23	23.05.2023	13 RPGO	143/2023	30.05.2023	सजा 100/– अर्थदंड दिनांक 08.06.2023

उक्त शख्स सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा जुआं खेलने का आदि है तथा अन्य लोगो को भी जुआं खेलने के लिये प्रेरित करता है। वर्तमान में भी इसकी आपराधिक गतिविधियां निर्बाध रूप से जारी है। जिससे गैर सायल के विरूद्ध आमजन शिकायत करने से भी डरते है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख) के अन्तर्गत यह इस्तगासा पेश कर उक्त अधिनियम की धारा 3 के तहत जिले से निष्कासन की कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है। जिससे आम नागरिको को जुआं के दुष्प्रेरण से बचाया जा सके।

इस्तगासा दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैर सायल बहस के दौरान स्वयं उपस्थित हुआ। लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस सुनी गई।

लोक अभियोजक द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया की गैर सायल अपराधी के विरूद्ध थाना महवा में दो आपराधिक प्रकरण धारा 13 RPGO के तहत दर्ज किये गये है। जिनमें गैर सायल को सजायाब किया जाकर अथर्दण्ड से दण्डित किया गया है। गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा आदतन जुआं खेलने का आदि है रूपये पैसो का दांव लगाकर सार्वजनिक स्थान पर जुंआ/सट्टेबाजी करता हुआ कई बार पकडा गया है। उक्त अपराध एक ऐसा अपराध है जिसने समाज के नवयुवक वर्ग को खोखला कर दिया है। उक्त गैर सायल को बार–बार सट्टे की खाईवाली करते एवं जुंआ खेलते हुये गिरफ्तार करने एवं उसके विरूद्ध चालान अदालत में पेश करने के बावजूद भी वह अपनी हरकतो एवं आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश नही लगा रहा है तथा बिना किसी भय के लगातार इसी अपराध को आदतन रूप से कर रहा है। उक्त गैर सायल के विरूद्ध आम नागरिक ना तो साक्ष्य देना चाहता है और ना ही उसके भय के कारण उसकी शिकायत पुलिस को कर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पा रहा है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति को ध्यान में रखते हुए एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को मध्यनजर रखते हुये आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है ताकि ऐसे अपराधी समाज के माहौल को खराब नहीं कर सके एवं समाज में शांति एवं सदभावना बनी रहे।

गैर सायल द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस के दौरान निवेदन किया कि गैर सायल के विरूद्ध जो दो मुकदमे दर्ज किये गये है। वह मुकदमे काफी पुराने है एवं उक्त मुकदमों में गैर सायल को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है। गैर सायल के विरूद्ध दर्ज मुकदमे आपराधिक प्रवृत्ति के नहीं है। मात्र 13 **RPGO** के ही मुकदमे दर्ज हैं जो कि आपराधिक श्रेणी के मुकदमों में नहीं आते है। गैर सायल एक सीधा सादा व्यक्ति है जो मेहनत मजदूरी करके अपना एवं अपने परिवार का जीवनयापन कर रहा है। गैर सायल किसी गम्भीर आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं रहा है। अतः गैर सायल के विरूद्ध प्रस्तुत इस्तगासा निरस्त फरमाते हुये गुण्डा एक्ट में की जाने वाली कार्यवाही ड्रोप फरमाई जावे।

लोक अभियोजक एवं गैर सायल की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत इस्तगासा अनुसार गैर सायल अपराधी के विरूद्ध दो मुकदमे दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल सजायाब हो चुका है। गैर सायल द्वारा बहस के दौरान स्वीकार किया गया है कि उसके विरूद्ध दो प्रकरण जुंआ सट्टा खेलने के कारण अन्तर्गत धारा 13 **RPGO** दर्ज हुये है। जिसमे गैर सायल को पूर्व में अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित भी किया जा चुका है। गैर सायल जुंआ सट्टा खेलकर आपराधिक प्रवृत्तियों में लिप्त होने के कारण राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के तहत गुण्डा की श्रेणी में आता है। वर्तमान में जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति एवं आगामी विधानसभा आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए तथा आमजन को जुआ–सट्टे के अपराध के दुष्प्रेरण से बचाने एवं युवाओ को जुंअे सट्टे की लत से बचाने के लिये ऐसे आदतन अपराधी के विरूद्ध राजस्थान गुण्डा एक्ट 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत निष्कासन की कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त विवेचनानुसार गैर सायल सोनू पुत्र कजोडी जाति प्रजापत उम्र 35 वर्ष निवासी गणेश मंदिर के पास महवा थाना महवा जिला दौसा को दिनांक 19.10.2023 से 30(तीस) दिवस की समयावधि के लिए दौसा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया जाता है एवं निर्देशित किया जाता है कि गैर सायल महवा जिला दौसा के रास्ते होते हुए थाना भुसावर जिला भरतपुर पहुंचेगा तथा अपनी उपस्थिति थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर को दर्ज करवाएगा। निष्कासित समयावधि में गैर सायल थाना क्षेत्र भुसावर जिला भरतपुर में निवास करते हुए प्रत्येक गुरूवार को थानाधिकारी थाना भुसावर जिला भरतपुर के समक्ष अपनी उपस्थिति देगा। पुलिस अधीक्षक दौसा एवं भरतपुर को पालना हेतु आदेश की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला मजिस्ट्रेट ,दौसा